



सहमति-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गेल इण्डिया लि०, लखनऊ द्वारा कुल 0.0139 हे० संरक्षित भूमि पर भूमिगत पाइप लाइन का निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या जी०आई० 100/14-02-2005-61/2006 दिनांक 23.02.2006 भारत सरकार द्वारा एफ०सी० 11-9/98 दिनांक 21.09.2005 के निर्देशों के अनुरूप सशर्त निम्न प्रतिबन्धों पर सहमति दी जाती है।

1. भूमि के उपयोग के बाद उसके मूल स्वरूप में लाने का उत्तर दायित्व गेल इण्डिया लि०, लखनऊ की होगी।
2. इस कार्य से यदि वन सम्पदा/पर्यावरण को कोई क्षति होती है, तो गेल इण्डिया लि०, लखनऊ द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
3. भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा।
4. भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा वन विभाग द्वारा राजकीय हित में लिया गया निर्णय सम्बन्धित कम्पनी को स्वीकार्य होगा।
5. गेल इण्डिया लि०, लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य किया जायेगा।
6. समस्त कार्य अनुमति प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर पूर्ण किये जायेंगे।


प्रदीप यादव


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सौराँच, इलाहाबाद


वरिष्ठ प्रबंधक (निर्माण)
गेल इण्डिया लिमिटेड

लखनऊ
प्रदीप यादव
Pradeep Yadav
वरिष्ठ प्रबंधक (निर्माण), लखनऊ
Sr Manager (Construction), Lucknow
गेल (इण्डिया) लिमिटेड
GAIL (India) Ltd
लखनऊ (226010)
Lucknow (226010)


प्रशासकीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
इलाहाबाद